न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्याः–17/2017/भीलवाड़ा (2017/00020)

1. छोगा पुत्र गोमा कुमावत, नि0 थला, तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. सन्तोकी पत्नि मोहनलाल कुमावत, नि0 पाटियाखेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा ।
2. बालू पुत्र लक्ष्मण कुमावत, नि0 थला, तह0 रायपुर, जिला भीलवाड़ा ।
3. विद्यादेवी पत्नि कुलदीप त्रिवेदी, नि0 रायपुर, तह0 रायपुर, जिला भीलवाड़ा।

रेस्पोर्डेटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर, जिला भीलवाड़ा दिनांक 11.2.2017 अंतर्गत अपील संख्या 17/2017.

उपस्थितः–

1. श्री ईश्वर देवड़ा, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पोर्डेटस अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः–18.12.2017

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 11.2.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती सन्तोकी पत्नि मोहनलाल ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राज0भू–राजस्व अधि0 1956 विरूद्ध अपीलांट व शेष रेस्पो0 के अधी0न्याया0 में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि ग्राम थला में स्थित खाता संखय 614 में अंकित आराजी नंबर 1846/697 रकबा 0.38 एवं आराजी खसरा नंबर 1847/697 रकबा 0.

38 है0 किता 2 कुल रकबा 0.76 है0 स्थित है । उक्त भूमि के चारों तरफ सीमा के मुश्तकिल निशानात नहीं होने के कारण उसे अपनी कृषि आराजियात में मवेशी चराने, घास काटने एवं फसल काश्त करने में आये दिन अपीलांट व शेष रेस्पो0 से विवाद बना रहता है तथा अपीलांट व शेष रेस्पोर्डेटस उसकी कृषि भूमि में आये दिन दखलदांजी करते है जिससे उसकी कृषि आराजियात की पत्थरगढ़ी कराया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश प्रदान करावे । अधी0न्याया0 ने अपने दिनांक 11.2.2017 को रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी कराये जाने के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है । xx

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोर्डेटस बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। xx

3- अपीलान्ट् के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि प्रकरण दर्ज करने की दिनांक से प्रकरण निर्णय तक पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे अपीलांट की नोटिस तलबी होना साबित होता हो । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को प्रकरण में ना तो सम्मन तामिल कराये एव ंना ही उन्हें सुनवाई किये जाने का कोई प्रयास ही किया । अधी0न्याया0 में एकतरफा में रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण को लोक अदालत शिविल में दिनांक 11.2.2017 को निर्णित किया है जबकि अपीलांट को प्रकरण के लोक अदालत में रखे जाने बाबत् कोई सम्मन तामील नहीं करवाये गये तथा पत्रावली पर प्रकरण लोक अदालत में रखे जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है एवं दिनांक 11.2.217 को शनिवार होकर राजकीय अवकाश था । अधी0न्याया0 ने राजकीय अवकाश को किस कारण से प्रकरण को निर्णित किया है इसके संबधं में भी पत्रावली में कोई उल्लेख नहीं है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबर के साबिक खसरा नंबर 374/1 था तथा खसरा नंबर 374 बहुत बड़ा रकबा होकर अविभाजित क्षैत्र था, जिसके नक्शे में किसी प्रकार का कोई विभाजन दर्शाया हुआ नहीं था । तत्पश्चात् दौराने भू-प्रबधं साबिक खसरा नंबर 374 के रकबे में दर्ज समस्त खातेदारान के रकबे का नक्शे में इंद्राज करते हुए पृथक-पृथक जगह फिट कर दिया गया था जिसमें प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नंबर 702 को भी निर्धारित कब्जे के स्थान पर अन्यंत्र फिट कर दिया गया जिसका लाभ उठाते हुए प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अपीलांट को बेदखल करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । अधी0न्याया0 ने बिना सर्वेक्षण नक्शों

को ध्यान में रखे एवं वास्तविक कब्जा बाबत् बिना जांच किये निर्णय में यह वर्णित करते हुए कि आराजी की पत्थरगढ़ी विपक्षीगण के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकार करा देवे जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने इस महत्वपूर्ण बिन्दू की और भी ध्यान आकर्षित किया कि अधी0न्याया0 में अपीलांट के नाम जारी नोटिस में वल्दियत गलत अंकित की गई । अपीलांट के पिता का नाम खेमा नहीं होकर गोमा है । छोगा पुत्र गोमा के नाम पर किसी प्रकार कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में अपीलांट को नोटिस तामील होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है किन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांट की तामील मानकर एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 11.2.2017 अपास्त किया जावे । xx

4- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट की तामील कराये बिना एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । इस संबधं में अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने प्रकरण को दिनांक 2.2.2017 को दर्ज कर प्रतिवादीगण को सम्मन मय नकल जारी करने के आदेश पारित कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.2.2017 नियत की । दिनांक 11.2.2017 की आदेशिका में यह अंकित किया है कि '' पत्रावली लोक अदालत शिविर में पेश हुई । प्रार्थिया के अधिवक्ता उपस्थित है । पत्थरगढ़ी का निर्णय पृथक से लिखा जाकर फाईल किया गया । '' आदेशिका दिनांक 11.2.2017 के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलांट को जारी सम्मन/नोटिस अपीलांट को तामील हुए अथवा नही ? साथ ही प्रकरण को लोक अदालत शिविर में रखने की सूचना अथवा नोटिस प्रतिवादीगण को जारी किये जाने के संबंध में भी कोई उल्लेख नहीं है । इसी प्रकार अधी0न्याया0 की पत्रावली में संलग्न सम्मन नोटिस के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट को जारी नोटिस में अपीलांट के पिता का नाम खेता अंकित है जबकि वास्तव में अपीलांट के पिता का नाम गोमा कुमावत है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट के नाम जारी नोटिस अपीलांट की गलत वल्दियत अंकित कर जारी किये है । तामील कुनिन्दा ने भी अपीलांट के सम्मन को छोगा पुत्र खेमा के मकान पर चस्पा करने का नोट अंकित किया है । यह छोगा पुत्र खेमा कुमावत कौन है संभवत् अपीलांट नही है । हम अपीलांट के इस कथन से सहमत है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट को तामील कराये बिना प्रकरण को बिना सूचना के लोक अदालत शिविर में रखकर जल्दबाजी में एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । हम अपीलांट के इस कथन से भी

सहमत है कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण को दिनांक 11.2.2017 को निर्णित किया है जबकि दिनांक 11.2.2017 को शनिवार होकर राजकीय अवकाश था । अधी0न्याया0 ने राजकीय अवकाश के दिन किस कारण से प्रकरण को निर्णित किया है यह भी अपने निर्णय में अंकित नहीं किया है । अधी0न्याया0 को चाहिये था कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व प्रतिवादीगण को विधिवत् नोटिस तामील कराते, तत्पश्चात् साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करते किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 के निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 11.2.2017 अपास्त योग्य होकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 17/2017 (2017/00020) बउनवानी छोगा बनाम सन्तोकी व अन्य को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हैं तथा विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 17/2017 बउनवानी संतोकी बनाम छोगा में पारित निर्णय दिनांक 11.2.2017 को अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को पुनः निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 18.12.2017 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर